2022/113

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक – पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया सुखविन्द्र कौर पत्नी बूटा सिह जाति जटसिख निवासी चक 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र,मूल रसीद, परिवार सदस्य प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया है कि मेरी सास सुखदेव कौर उर्फ जगदेव कौर पत्नी सन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एच सुन्दरपुरा तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 03.12.2021 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 03.03.2022 को हो चुका है।, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान सिरताज सिंह पुत्र सकतर सिह एवं गुरनाम सिंह पुत्र सकतर सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्रीमती सीमा सिसोदिया श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

7/4/22

12/4